न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक :– ..../2019/ग्वालियर/निगरानी

निगरानी-0392/2019/ग्वालियर/भू.रा.

1– बृजमोहन

2– हरनाम

3– अतर सिंह

4– राकेश पुत्रगण स्व. श्री मल्थूराम रावत

5– लच्छो पुत्री स्व. श्री मल्थूराम रावत

6– हल्की पत्नि स्व. श्री मल्थूराम रावत समस्त निवासीगण ग्राम करहिया तहसील चीनोर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश —प्रार्थीगण

बनाम

1– श्रीमती कस्तूरी पुत्री स्व. श्री भग्गुराम रावत पत्नि कमल सिंह रावत निवासी व कृषक ग्राम करहिया तहसील चीनोर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश

2– कमल सिंह पुत्र स्व. श्री भग्गुराम रावत

3– अनन्त सिंह पुत्र स्व. श्री नत्थूराम

4– होतम सिंह पुत्र स्व. श्री नत्थूराम

5– सरमनिया पत्नि स्व. श्री नत्थूराम समस्त निवासीगण व कृषक ग्राम

करहिया तहसील चीनोर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश —प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 8 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 25/02/2019 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 511/2017—18/अपील श्रीमती कस्तूरी आदि बनाम बृजमोहन आदि। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 72/2016—17/अपील आदेश दिनांक 30/01/2018। नायब तहसीलदार वृत आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 04/1998—99/अ—27 आदेश दिनांक 04/03/1999।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :—

1— यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम करहिया मे स्थित भूमि खाता क्रमांक 399, 396, 434, 650 एवं 651 से सम्बन्धित भूमियों का उनके सह—स्वामियों के मध्य हुये सहमति के बटवारे के आधार पर सहमति फर्द बटवारा संलग्न कर विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत आंतरी के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

2— यह कि, विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही कर सभी सह—भूमियों स्वामियों के सहमति के कथन अंकित कर सहमति के आधार पर दिनांक 04/03/1999 को बटवारा आदेश पारित किया जिसका अमल राजस्व अभिलेख मे भी किया जा चुका है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 0392/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-04-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	